

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➤ अलवर में कनिष्ठ अभियंता जेवीएनएल पीनान के दलाल फूलसिंह को 17,000/- रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 12 सितम्बर, शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी जीएसएस के तेज सिंह जेईएन के कहे अनुसार उसके दलाल फूलसिंह को परिवादी से 17,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मीता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी अलवर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के घर के पास शिवजी का मन्दिर है। दिनांक 10.09.2025 को पिनान जीएसएस का तेज सिंह जेईएन परिवादी के घर आये और उससे कहा कि तुम लोगों ने मन्दिर में बिना मीटर के विद्युत का सीधा कनेक्शन कर रखा है। जेईएन तेजसिंह ने (परिवादी) मुझे साईड में ले जाकर कहा की तुमने मन्दिर में चोरी की लाईट लगा रखी है या तो तुम अभी तीस हजार रुपये दो अन्यथा एक लाख रुपये की वीसीआर भर दूंगा। मैंने जेईएन साहब से कहा कि इस कनेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो मन्दिर में आने जाने वालों के लिए लाईट लगा रखी है। घर के इन्वेंटर से मन्दिर की लाईट को जोड रखा है। हमारे घर का तो अलग से कनेक्शन ले रखा है। परन्तु उसने मुझे धमकी दी की यदि तुम 30,000/- रुपये कल तक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी एक लाख की वीसीआर भर दूंगा मुझे वीसीआर के डरा धमकाकर से 5000/- रुपये तो जेईएन ने उसी समय ले लिया और जाते हुये कहा कल तक 25,000/- रुपये नहीं लाया तो वीसीआर भर दूंगा। उक्त वीसीआर नही भरने के नाम पर 30,000/- रुपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर जयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम श्री राजेश सिंह के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार टीएलओ द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी जेईएन के दलाल फूलसिंह को परिवादी से 17,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी तेजसिंह जेईएन कार्यवाही की भनक लगने के कारण मौके से फरार हो गया।

आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।